न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

राजस्व अपील 10/2023

केशव पुत्र बनवारीदास जाति दादूपंथी स्वामी निवासी दादूद्वारा टहलडी दौसा जिला दौसा राज0

.. अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा।
2. तहसीलदार, तहसील दौसा जिला दौसा

... रेस्पों0

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.5.2023 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम केशव मुकदमा नंबर 02/2023 (129/2023) न्यायालय तहसीलदार दौसा

उपस्थित– 1. श्री वरूण नागर, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 30.4.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.5.2023 जो कि उनवानी प्रकरण सरकार बनाम केशव मु0नं0 2/2023 (129/2023) से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार दौसा से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार दौसा ने अपीलांट को एक नोटिस धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रेषित किया जिस पर अपीलांट ने नियत तिथि दिनांक 23.5.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब पेश किया एवं जवाब में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया कि अपीलांट ने 3118 नम्बर पर किसी प्रकार से कोई अतिचार नही किया है। बल्कि खसरा नम्बर 3134 रकबा 0.53 है0, 3135 रकबा 0.02 है0, 3136 रकबा 0.82 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.37 है0 जिसके पूर्व खसरा नम्बर 1188 व 1189 थे व जिसका रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा था, नये रिकॉर्ड मे रकबा 1.37 है0 ही दर्ज हुआ है व 0.06 है0 भूमि अपीलांट की कम कर दी गई है। खसरा नम्बर 1188 व 1189 वर्तमान खसरा नम्बर 3134, 3135, 3136 को भी भू–प्रबन्ध विभाग ने बदल दिया है। उपरोक्त सभी तथ्यो के संबंध मे न्यायालय उप जिला कलेक्टर के यहां विष्णुदेव बनाम राज0. सरकार के नाम से एक वाद भी चल रहा है जिसमे तहसीलदार भी पक्षकार है। व उक्त वाद मे स्थगन आदेश भी जा रहा है जो ताफैसला वाद पत्र कन्फर्म हो चुका है। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय प्रकरण संख्या 28/2022 के प्रति भी योग्य अधिनस्थ तहसीलदार तहसील दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई। लेकिन तहसीलदार तहसील दौसा ने माननीय न्यायालय उपजिला कलेक्टर दौसा के निर्णय को [illegible] कर एवं न्यायालय की अवमानना करते हुए अपीलांट को अवैधानिक रूप से बे[illegible] का आदेश पारित कर दिया व 50 गुणा लगान अदा करने का भी [illegible] जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार तहसील दौसा का आदेश (निर्णय) दिनांक 30–5–2023 विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया [illegible] विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। न्याय का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि न्याय होना ही नही चाहिए बल्कि न्याय दिखना भी

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:32:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

चाहिए। उपरोक्त प्रकरण मे वास्तविक स्थिति यह है कि अपीलांट ने माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के यहां एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया व उसके साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधा भी प्रस्तुत किया गया। योग्य अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी ने एक वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया एवं राज० सरकार व तहसीलदार तहसील दौसा को तलब किया। तहसीलदार तहसील दौसा ने जो अपना जवाब पेश किया उसमे अपीलांट की भूमि कम होना व अपीलांट की भूमि 1.43 है0 होना स्वीकार किया साथ ही उन्होने अपने जवाब मे यह भी वर्णित किया कि साबिक नक्शा उपलब्ध नही होने के कारण जानकारी दिया जाना संभव नही है। इन सभी तथ्यो के आधार पर उपखंड अधिकारी दौसा ने प्रकरण संख्या 28/2022 निर्णय दिनांक 15–09–2022 पारित किया एवं न्यायालय ने अपने आदेश मे उभय पक्षो को वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित कर दिया। योग्य अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी ने आदेश पारित किया वह निम्न प्रकार से है "अतः अस्थाई निषेधज्ञा हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उक्त भूमि के मौके की यथास्थित बनाये रखने हेतु उभय पक्षो को वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है"। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश से योग्य अधिनस्थ तहसीलदार तहसील दौसा भी प्रतिबन्धित है लेकिन उन्होने उपखंड अधिकारी दौसा न्यायालय के आदेश को न मानकर अपीलांट की बेदखली का जो आदेश पारित किया है वह स्पष्ट रूप से न्यायालय की अवमानना है जिसके लिए अवमानना याचिका उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रस्तुत की जावेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो आदेश तहसीलदार दौसा ने दिनांक 30–5–2023 को पारित किया है वह आदेश विधिविरूद्व है एवं योग्य अधिनस्थ तहसीलदार तहसील दौसा अपने स्वयं के दिये गये जवाब व न्यायालय के निर्णय से प्रतिबन्धित है। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार तहसील दौसा ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजात का सही परिपेक्ष्य मे विवेचन न कर एवं एक काल्पनिक एवं मनमाना आदेश पारित करने मे कानूनी गलती की है। अपीलांट की 0.06 है० भूमि रिकॉर्ड मे कम हुई है एवं जेर दफा 91 मे 0.05 है0 भूमि पर अतिचार बतलाया गया है। इससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि अपीलांट ने किसी प्रकार का कोई अतिचार नही किया है। अपीलांट तो सदभावी रूप से भूमि पर काबिज है जिस पर अपीलांट की चारदीवारी बनी हुई है लेकिन योग्य अधिनस्थ तहसीलदार तहसील दौसा ने मौके का सही प्रकार से विवेचन न कर एवं राजस्व रिकॉर्ड का सही परिपेक्ष्य मे विश्लेषण न कर आदेश पारित करने मे कानूनी गलती की है। अपीलांट की जो 0.06 है० भूमि कम हुई है यह भूमि किस रकबे मे जाकर लगी यह एक साक्ष्य का विषय है। जिसका निर्णय तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा को करना है एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के वाद मे स्वयं तहसीलार भी पक्षकार है तो उन्हे उक्त प्रकरण मे कानूनन निर्णय पारित नही करना चाहिए था। बल्कि उसे न्यायालय श्रीमान का मार्गदर्शन लेकर किसी अन्य अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु स्थानान्तरित कर देना चाहिए था। लेकिन बडे आश्चर्य की बात है कि योग्य अधिनस्थ तहसीलदार तहसील दौसा ने एक पक्षकार होते हुए भी एक न्यायिक अधिकारी के बतौर जो निर्णय पारित किया है वह कानूनी सिद्वान्तो के खिलाफ है व योग्य अधिनस्थ तहसीलदार तहसील दौसा का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट आज भी [illegible] रूप से अपनी भूमि पर काबिज है। यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि [illegible] खसरा नम्बर 3134, 3135, 3136 विष्णुदेव स्वामी की भूमि है जो [illegible] उक्त विष्णु देव स्वामी नाबालिग है जिसके हितो की रक्षार्थ ही अपीलांट उक्त भूमि पर काबिल है। कानून उक्त प्रकरण मे सिद्धान्तिक रूप से विष्णुदेव स्वामी को भी नोटिस देना चाहिए था व उसे पक्षकार बनाना चाहिए व उसे पक्षकार न बनाकर व उसे नोटिस न देकर योग्य अधिनस्थ तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:32:17 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसील दौसा ने कानूनी गलती की है। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार तहसील दौसा ने उक्त प्रकरण मे ना तो पटवारी हल्का के बयान लिये और न पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर प्रदान किया पटवारी हल्का की कोई रिपोर्ट भी अतिचार के संबंध मे स्पष्ट नही है। लेकिन योग्य अधिनस्थ तहसीलदार तहसील दौसा ने पटवारी की रिपोर्ट को बिना किसी साक्ष्य के आधार मानकर आदेश पारित करने मे कानूनन गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ तहसीलदार तहसील दौसा का आदेश (निर्णय) दिनांक 30–5–2023 प्रकरण संख्या 2/2023 (129/2023) प्रकरण उनवानी सरकार बनाम केशव न्यायालय तहसीलदार तहसील दौसा को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाने की कृपा करे एवं योग्य अधिनस्थ तहसीलदार तहसील दौसा के विरुद्ध अवमानना का केस बनाकर उन्हें दण्डित किये जाने का आदेश फरमावें।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त मण्डावर से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।
5. अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गई।
6. प्रकरण में तहसीलदार दौसा द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.5.2023 के द्वारा प्रार्थी को खसरा नंबर 3118 रकबा 0.57है. में अनाधिकृत रूप से अतिचार करने के कारण बेदखली के आदेश प्रदान किये ये है। प्रार्थी का कथन है कि उनके वर्तमान खसरा नंबर 3134, 3135, 3136 जिसका रिकार्ड में रकबा 1.37 है. है को भू प्रबंध विभाग द्वारा बदला गया है एवं इनके पूर्व के खसरा नंबर 1188 1189 में से 0.06है. कम किया गया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा से अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त कर रखी है जो कि इस प्रकार हैः– "प्रश्नगत आसराजी ,ासरा नंबर 3134 रकबा 0.53है, खसरा नंबर 3135 रकबा 0.02है. ,खसरा नंबर 3136 रकबा 0.82है. कुल किता 3 रकबा 1.37है. वाके दौसा कलां बनवारीदास पुत्र रामदयलादास दादूपंथी हिस्सा पूर्ण जाति स्वामी सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा बनवारीदास पुत्र रामदयालदास की ओर से रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 14.11.2017 को विष्णुदेव स्वामी पुत्र केशवदास स्वामी के पक्ष में की हुई है। प्रार्थी का यह कथन कि पूर्व खसरा नंबर 1088, 1089 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा के हिसाब से वर्तमान खसरा नंबर 3134, 3135, 3136 का रकबा 1.43है. अंकित होना चाहिए था लेकिन भू प्रबंध विभाग ने हा खसरा नंबर 3134, 3135, 3136 का रकबा 1.43है. के स्थान पर केवल मात्र 1.37है. अंकित कर 0.06है0 भूमि कम कर दी, इसकी पुष्टि तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत जवाब से भी होती है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षों को वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।"
7. तहसीलदार दौसा द्वारा अपने निर्णय में उक्त अस्थाई आदेश पर विचार विमर्श करते हुए आदेशित किया है कि चूंकि माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.9.2022 के अनुसार भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षो को वाद के निस्तारण तक अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:52:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

निषेधाज्ञा से पाबंद किया है एवं प्रार्थी ने भू प्रबंध विभाग द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का रकबा 1.43है. के स्थान पर 1.37है. अंकित कर 0.06है. भूमि कम होना अंकित किया है किन्तु वाद में यह अंकित नहीं किया है कि उक्त भूमि किस दिशा में कम की गई जिससे यह जाहिर नहीं होता कि उक्त भूमि सरकारी रास्ते में दर्ज की गई है। अतः प्रार्थी को सरकारी भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किया जाता है। हम तहसीलदार दौसा द्वारा दिये गये अभिमत से सहमत है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–5–2023 प्रकरण संख्या 2/2023 (129/2023) प्रकरण उनवानी सरकार बनाम केशव में पारित किया गया है को यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 अप्रेल, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:32:17 IST
Reason: SelfAttested